# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 29 / 2022 दिनांक 25 / 3 / 2022

01. गीता बाई पत्नि छीतरलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
02. भंवरलाल पिता छीतरलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
03. रेखा पुत्री छीतरलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0। .........प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राजेश पिता सुरजमल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. शंकरलाल पिता लख्मीचन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

...........विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट**

**– : आदेश : –** **दिनांक 25 / 3 / 2022**

प्रार्थना पत्र हम प्रार्थीगण गीता पत्नि छीतर, भंवरलाल,रेखा पिता छीतरलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा बिजौलिया कलां पटवार हल्का बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 177 **पर अंकित आराजी नम्बर 1943/1825, व 1944/92 कुल किता 2 रकबा 0.3804 हैक्टेयर भुमि** स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक **बिजौलिया खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रू की पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि.-भीलवाडा